



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

भारत-स्विट्जरलैंड रिश्तों को नई रफ्तार, मोदी-पार्लेलिन वार्ता में पांच अहम समझौते



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।
भारत और स्विट्जरलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। स्विस् परिसंघ के राष्ट्रपति गाय पार्लेलिन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परिवहन, विज्ञान-तकनीक और पेशेवरों की आवाजाही सहित विभिन्न

सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और तकनीकी सहयोग के विस्तार की संभावना बढ़ी है। दोनों पक्षों ने नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया। परिवहन तकनीक, मोबिलिटी और आधारभूत ढांचे से जुड़े सहयोग को भी इसी व्यापक साझेदारी का हिस्सा माना जा रहा है। व्यापार और निवेश को मिलेगा नया आधार वार्ता में व्यापार और निवेश संबंधों को और विस्तार देने पर विशेष जोर रहा। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच नवाचार और तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देने से संबंधित सहयोग भी द्विपक्षीय एजेंडे का हिस्सा रहा। रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के बाद कहा कि दोनों देशों ने

स्विस् बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को महत्वपूर्ण बताया। कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर तलाशने तथा स्विस् निवेश को भारत में आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया। जूट के तहत भारत में दीर्घकालिक निवेश और रोजगार सृजन की महत्वाकांक्षी संभावनाएं भी जुड़ी हैं। दोनों पक्ष इस समझौते के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए स्विट्जरलैंड में अवसरों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। समझौते के तहत युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान का प्रारंभिक प्रावधान दोनों देशों से प्रति वर्ष 300 प्रतिभागियों के लिए है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विज्ञान, स्वास्थ्य और उन्नत तकनीक पर सहयोग दोनों देशों

ने विज्ञान, शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्विस् पक्ष ने भारत के बाजार और विज्ञान-तकनीक क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं में रुचि भी व्यक्त की। राष्ट्रपति पार्लेलिन की यात्रा के साथ उच्चस्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। उनकी यात्रा का एक प्रमुख संदर्भ भारत-EFTA TEPA की पहली वर्षगांठ भी रहा, जिसने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति देने के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हालिया उच्चस्तरीय वार्ता से स्पष्ट है कि द्विपक्षीय संबंध अब केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रह गए हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, निवेश, तकनीक, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और पेशेवरों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार दोनों देशों की साझेदारी को व्यापक आधार दे सकता है।

क्यूबेक में अलगाववादी PQ की वापसी, कनाडा की राजनीति में बड़ी हलचल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

क्यूबेक, कनाडा, 6 अक्टूबर 2026।
कनाडा के क्यूबेक प्रांत के चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अलगाववादी पार्टी क्यूबेका (Parti Québécois—PQ) ने 5 अक्टूबर को हुए प्रांतीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतकर 12 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है। हालांकि पार्टी 127 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 64 सीटों का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। प्रारंभिक परिणामों में चक को 59 सीटें मिली हैं, जबकि क्यूबेक लिबरल पार्टी को 40, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ क्यूबेक को 19 और क्यूबेक सोल्लिडेरिटी को 9 सीटें मिलीं। सत्तारूढ़ रही Coalition Avenir Québec एक भी सीट नहीं जीत सकी। यह परिणाम केवल प्रांतीय सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्यूबेक की पुरानी स्वतंत्रता और संप्रभुता की राजनीति की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है। चक नेता पॉल सेंट-पियरे प्लामोंदों ने चुनाव अभियान के दौरान क्यूबेक की स्वतंत्रता पर एक और जनमत संग्रह कराने का



जल्दबाजी होगी। पार्टी को करीब 28 प्रतिशत मत मिले और 59 सीटों के साथ वह बहुमत से पांच सीट दूर रह गई। इसका अर्थ है कि नई सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा। इस स्थिति में PQ के सामने दोहरी चुनौती होगी क्यूबेक की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है। चक नेता पॉल सेंट-पियरे प्लामोंदों ने चुनाव अभियान के दौरान क्यूबेक की स्वतंत्रता पर एक और जनमत संग्रह कराने का

देने की पर्याप्त राजनीतिक ताकत मौजूद रहेगी। स्वतंत्रता का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में क्यूबेक का कनाडा से अलग होने का प्रश्न नया नहीं है। प्रांत में 1980 और 1995 में स्वतंत्रता को लेकर जनमत संग्रह हो चुके हैं और दोनों में अलगाववादी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था। वर्तमान में भी क्यूबेक की स्वतंत्रता के पक्ष में जनसमर्थन लगभग 30 प्रतिशत के आसपास बताया जा रहा है। इसलिए चुनाव में PQ की जीत को सीधे तौर पर स्वतंत्रता के पक्ष में स्पष्ट जनादेश मानना उचित नहीं होगा। विश्लेषकों के अनुसार चुनाव परिणाम में सरकार के प्रति असंतोष, क्षेत्रीय पहचान, आर्थिक मुद्दे और विभिन्न दलों के बीच मतों के विभाजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में चक की सफलता को केवल अलगाववाद के समर्थन के रूप में देखना क्यूबेक के मतदाताओं के निर्णय को अत्यधिक सरल बना देना होगा। मार्क कार्नी के लिए नई राजनीतिक चुनौती क्यूबेक में अलगाववादी पार्टी PQ के सामने दोहरी चुनौती होगी क्यूबेक की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है। चक नेता पॉल सेंट-पियरे प्लामोंदों ने चुनाव अभियान के दौरान क्यूबेक की स्वतंत्रता पर एक और जनमत संग्रह कराने का

छोटे कारोबारों को 10,000 करोड़ का सहारा, SME Growth Fund को कैबिनेट की मंजूरी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।
केंद्र सरकार ने देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को विस्तार, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 10,000 करोड़ के SME Growth Fund की स्थापना के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। यह पहल वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषित 'चौपिनयन MSME बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार के अनुसार यह फंड छोटे और मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश के माध्यम से विकास पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों को आगे बढ़ाना है, जिनमें कारोबार का विस्तार करने, नई तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, निर्यात बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धी भारतीय कंपनियों के रूप में विकसित होने की क्षमता है। केवल ऋण नहीं, विकास पूंजी पर जोर छोटे कारोबारों के सामने अक्सर सबसे बड़ी चुनौती कारोबार शुरू करने

की नहीं, बल्कि उसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक पूंजी जुटाने की होती है। बैंक ऋण और अन्य पारंपरिक वित्तीय साधनों के बावजूद विकास के चरण में जोखिम पूंजी की कमी कई उद्यमों की विस्तार क्षमता को सीमित करती है। SME



Growth Fund इसी अंतर को भरने पर केंद्रित है। सरकार का 10,000 करोड़ का कुल योगदान Alternative Investment Fund (AIF) के ढांचे के तहत किया जाएगा। इसका जोर शुरुआती स्तर के कारोबारों के बजाय ऐसे विकासोन्मुख SMEs पर है, जिन्हें विस्तार, तकनीकी बदलाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश, अधिग्रहण अथवा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह योजना छोटे उद्यमों के लिए पारंपरिक

ऋण आधारित वित्त व्यवस्था से आगे बढ़कर इक्विटी आधारित विकास पूंजी का विकल्प मजबूत कर सकती है। विनिर्माण और छोटे शहरों पर विशेष ध्यान SME Growth Fund का बड़ा हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्लस्टरों में निवेश की दिशा में जाने की उम्मीद है। Tier-II और Tier-III शहरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को भी इससे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे छोटे शहरों में औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूती मिलने की संभावना है। विनिर्माण क्षमता के विस्तार के साथ तकनीक, नवाचार, सेवाओं और रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यम भी इस पहल के दायरे में आएंगे। सरकार का अनुमान है कि ऐसे निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भारतीय SMEs को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ना भी इस पहल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर्याप्त पूंजी मिलने पर छोटे उद्योग नई मशीनरी, उन्नत तकनीक, गुणवत्ता मानकों और उत्पादन क्षमता में निवेश कर सकते हैं।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) को लेकर केंद्र की राजनीति मंगलवार को एक बार फिर गरमा गई। फ़क्क़ ब्लॉक के सांसदों और विपक्षी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने मार्च को निर्वाचन आयोग मुख्यालय से पहले रोक

दिया, जिसके बाद नेताओं ने सड़क पर धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR प्रक्रिया को लेकर तत्कालीन मंगलवार को एक बार फिर गरमा गई। फ़क्क़ ब्लॉक के सांसदों और विपक्षी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने मार्च को निर्वाचन आयोग मुख्यालय से पहले रोक

गई है। संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च, पुलिस ने रोका फ़क्क़ ब्लॉक के सांसद संसद परिसर से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़े। मार्च को संसद मार्ग पर नीति आयोग के आसपास सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों और नेताओं ने वहीं धरना शुरू कर दिया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ नेताओं ने पुलिस बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत अन्य विपक्षी सांसदों को भी पुलिस वाहनों में ले जाया गया। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाद में आकाशवाणी भवन परिसर तक पहुंचे और निर्वाचन आयोग कार्यालय तक जाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मध्य दिल्ली के प्रमुख हिस्सों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी। SIR प्रक्रिया को खारिज किया विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार का केंद्र विपक्षी दल लंबे समय सेSIR प्रक्रिया को लेकर

सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया और दस्तावेजी आवश्यकताओं को लेकर स्पष्टता तथा पारदर्शिता जरूरी है। Form-6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा विवादSIR से जुड़ा विवाद अब राजनीतिक मंच पर आगे बढ़कर न्यायिक प्रक्रिया का धरना शुरू कर दिया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ नेताओं ने पुलिस बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाद में आकाशवाणी भवन परिसर तक पहुंचे और निर्वाचन आयोग कार्यालय तक जाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मध्य दिल्ली के प्रमुख हिस्सों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी। SIR प्रक्रिया को खारिज किया विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार का केंद्र विपक्षी दल लंबे समय सेSIR प्रक्रिया को लेकर

बताया है और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई है। भाजपा ने भी विपक्ष के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष चुनावी संस्था पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में संशोधन और Form-6 से जुड़े मुद्दों पर अंतिम स्थिति न्यायिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट होनी है। राष्ट्रीय राजनीति में फिर केंद्र में मतदाता सूची का मुद्दा दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन ने मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। एक ओर विपक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए आंदोलन तेज करने की तैयारी में है, वहीं आयोग और सत्तारूढ़ पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं। राजनीतिक टकराव के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आने वाले दिनों में SIR, Form-6 और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर राजनीतिक तथा न्यायिक दोनों स्तरों पर घटनाक्रम पर देश की नजर बनी रहेगी।

नौकरीपेशा लोगों से लेकर मरीजों और फार्मा कंपनियों तक राहत की उम्मीद, GST परिषद में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबारी अनुकूल बनाने की दिशा में 8 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर GST छूट, भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा विदेशी ग्राहकों के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्यात का दर्जा तथा रिफंड प्रक्रिया को तेज करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय परिषद की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होगा। कर्मचारियों के गुप्त इश्योर्स पर ITC का प्रस्ताव रिपोर्टों के अनुसार, सरकार



इश्योर्स पर चुकाए गए GST का ITC देने पर विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था में ऐसे समूह बीमा पर सामान्यतः 18 प्रतिशत GST लगता है और इस पर ITC की सुविधा सीमित है, जिससे यह राशि कंपनियों की लागत में शामिल हो जाती है। मसलन, यदि किसी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए 1 लाख रुपये का गुप्त इश्योर्स लिया

और उस पर 18 हजार रुपये GST चुकाया, तो प्रस्तावित व्यवस्था में पात्रता होने पर कंपनी इस कर का ITC ले सकती है। इससे बीमा की प्रभावी लागत कम हो सकती है। कर्मचारियों को कैसे मिल सकता है फायदा? इस प्रस्ताव का लाभ कर्मचारियों को सीधे नकद राशि के रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन बीमा लागत घटने से कंपनियां सामान बजट में कर्मचारियों के लिए अधिक बीमा कवर उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती हैं। इससे कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा की कवरेज बढ़ने और बेहतर स्वास्थ्य सुखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी बीमा की प्रभावी लागत घट सकती है और संपादित

क्षेत्र में बीमा कवरेज बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल सकता है। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर GST छूट की तैयारी GST परिषद के सामने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ आयतित दवाओं में मेडिसिन और विशेष पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों को GST से छूट देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार सात और दुर्लभ बीमारियों को ऐसी छूट के दायरे में लाने पर विचार हो रहा है। इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं और विशेष खाद्य उत्पाद बेहद महंगे होते हैं, जिससे परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पात्र मरीजों के परिवारों के लिए उपचार की कुल लागत में कमी आ सकती है। हालांकि, किन सात बीमारियों को प्रस्तावित छूट में शामिल किया जाएगा।

2047 के विजन को रफ्तार देने की तैयारी, ITLA से जुड़ेगा देश का परिवहन तंत्र

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक एकीकृत, डेटा आधारित और बहु-माध्यमीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA) के गठन को मंजूरी दी है। प्रस्तावित प्राधिकरण का उद्देश्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग और शहरी परिवहन के बीच तालमेल बढ़ाना है। सरकार के अनुसार ITLA

को देश में परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स की समेकित योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, नीति



सहयोग और डेटा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अलग-अलग परिवहन माध्यमों के लिए अलग-अलग योजनाओं के बजाय एक साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करना है। 10 वर्ष की योजना पर आधारित होगा मास्टर प्लान प्रस्तावित ITLA कम से कम 10

वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें सड़क परिवहन, रेलवे, बंदरगाह एवं शिपिंग, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, टटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित प्रमुख क्षेत्रों को एकीकृत रूप से शामिल किया जाएगा। इसके साथ परिवहन तथा वार्षिक योजनाओं की समीक्षा जारीगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अलग-अलग परिवहन माध्यमों के परियोजनाएं राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप हों और एक माध्यम का विकास दूसरे माध्यम की क्षमता को प्रभावित करने के बजाय उसके साथ तालमेल बनाए। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में

यह समन्वय महत्वपूर्ण है। माल को सड़क से रेल, रेल से बंदरगाह और बंदरगाह से समुद्री या अन्य परिवहन माध्यमों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जितनी सहज होगी, उतना ही समय और लागत दोनों में बचत की संभावना बढ़ेगी। 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा ITLA केंद्र सरकार की 500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा करेगा। हालांकि इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा। प्राधिकरण परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के साथ उनके क्रियाचयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय में भी भूमिका निभाएगा।

सम्पादकीय

गुजारिश गज़ल संग्रह मेरी दृष्टि में

एक आम आदमी के समक्ष जब कोई घटना घटित होती है तो वह उसे आम तौर से ही देखा है, किंतु वहीं घटना जब एक रचनाकार के सम्मुख घटित होती है तो उस रचनाकार का नजरिया कुछ अलग होता है। कवि अपनी पैनी नजरों से उस घटनाओं को अपने हृदय में महसूस करता है और वही क्रियाकलाप शब्दों के माध्यम से अपने आंतरिक तरंगों से अनुप्राणित होकर कागज पर कलमबद्ध करते चला जाता है। कवि कविता, गीत या गज़ल कहलाती है। कवि समाज का दृष्टा होता है। समाज की सारी गतिविधियां चाहे समाज का आनंद हो या समाज की पीड़ा वह हर भाव में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के उपरांत जब वह बाहर आता है तो अपने साथ लाए अनगिनत रत्नों का विशाल भंडार समाज को सौंपता है।

लगभग आठ माह पहले उन्नाव जनपद निवासी युवा रचनाकार श्री विवेक दीक्षित जी का गज़ल संग्रह गुजारिश मुझे डाक विभाग से प्राप्त हुई। जिसे प्रिय विवेक दीक्षित जी ने हमारे लिए भेजा था। हमने पुस्तक का अध्ययन किया। पुस्तक गुजारिश गजल संग्रह कुल 109 गजलों से पूर्ण है। युवा रचनाकार श्री विवेक दीक्षित जी का यह पहला गजल संग्रह है। किंतु गजलों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायर गजल कहने में बिल्कुल परिपक्व है। गजलों के प्रत्येक शेर लगभग गजल की मानदंडों पर खरे हैं। शेरों में कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का भरपूर प्रयास किया गया है। पुस्तक गुजारिश का नामकरण ही विनम्रता से परिपूर्ण है। जिसका शाब्दिक अर्थ है निवेदन। अर्थात शायर ने अपने गजलों में समाज से बड़े ही संजीदगी से आग्रह ही किया है। ऐसा आग्रह जो मानव को मानव बनने में सहायक हो। संपूर्ण धरा धाम को एक सूत्र में पिरोने का पुरजोर व प्रशंसनीय प्रयास है। रचनाकार के रचना का उद्देश्य ही धरातल मानवता की स्थापना है, और होना भी यही चाहिए। जब कलमकार निजी हितों से हटकर समाज के हित में अपने कलाम का मुख मोड़ देता है तो वह पूज्य हो जाता है। विवेक दीक्षित जी का गज़ल संग्रह लोकमंगल, लोकरंजन व लोकरक्षक की भावना से अभिभूत है। अपनी पुस्तक गुजारिश में विवेक जी ने बहुत कुछ कहते–कहते आज की नवयुवक पीढ़ी से एक बात कहने में जरा सा भी परहेज नहीं किया है– मैं बूढ़ा हूं जवानी मुझ पर दिखलाओ ना तुम बेटे, बहुत पहले तुम्हारी सी जवानी छोड़ आए हैं। अब तो मुक्ति बरतन दबाकर मिलती हैं, बेटों ने तो विता जलाना छोड़ दिया। रचनाकार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार के टूटने से चिंतित है। घर द्वार ,आंगन ,डेहरी में रचनाकार के प्राण बसते हैं। वह बार–बार उनको टूटने से बचने का पुरजोर प्रयास करता है। इस शेर में देखें– बात आंगन की देहरी से ही वापस लौटें, घर को खुला बाजार मत करना। नारी जाति की सुरक्षा को लेकर विवेक जी कहते हैं– कोई कैसे हंसे इस जमाने में। होंठ फटते हैं मुस्कुराने में। लाख पाबंदियां हैं कौवों की, कोयले डर रही हैं गाने में। विवेक दीक्षित जी पूर्ण रूप से आस्तिक हैं। इष्ट के साधक हैं। भगवान राम पर इनकी अनेकों रचनाएं फेंसबुक पर वायरल हैं। लेकिन जब हमने इनका गजल संग्रह गुजारिश पढ़ तो वहां पर भी इन्होंने प्रभु श्री राम को केंद्र बिंदु बनाया और राम के माध्यम से तार्किक शेर कह जाने में गुरेज नहीं किया है। यूँ कहिए कि इस शेर के माध्यम से उन्होंने नास्तिकों व प्रभु राम के विरोधियों के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा है– कुछ प्रश्नों को हल कर पाना बहुत कठिन है, पाषाणों को जल कर पाना बहुत कठिन है। बहुत सरल है राम पर प्रश्न उठा देना, गहनों को बल्कल कर पाना बहुत कठिन है शायर अपनी कदम से देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी सावधान किया है, और बड़े ही चुटकुले अंदाज में व्यंग्य बाणों की वर्षा की है। प्रस्तुत शेर देखें– कागजी बातों का क्या कुछ भी लिखो। आदमी को भैंस या बकरी लिखो। लूट का है माल..... तुम भी लूट लो, बरगमद पेटी में हो तुम गठरी लिखो।। प्रजातंत्र,चुनाव,सरकार, भ्रष्ट नेता, बाहुबलियों, गठबंधन पर रचनाकार ने अपनी लेखनी चलाई है। एक सरकार हटाती है और दूसरी सरकार आती है। उस पर रचनाकार उदासीन है वह लिखता है– बदला है बस लिफाफा मजमून वही है।

भारत की अर्थव्यवस्था का दोहरा चेहरा:ऑटो बिक्री मजबूत, लेकिन ग्रामीण मांग की असली तस्वीर क्या है?

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

सितंबर के वाहन खुदरा आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक दिलचस्प और कुछ हद तक विरोधाभासी तस्वीर सामने रखी है। एक ओर देश में कुल ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत बढ़कर 25.37 लाख वाहनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टरों की बिक्री अगस्त की तुलना में 12.58 प्रतिशत घटकर 76,906 इकाई रह गई। पहली नजर में यह आंकड़ा शहरी उपभोग की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरी के बीच बढ़ती दूरी का संकेत देता है। लेकिन तस्वीर इतनी सरल भी नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सितंबर की 31.82 प्रतिशत की वृद्धि को पूरी तरह वास्तविक मांग की छलांग मानना उचित नहीं होगा। पिछले वर्ष सितंबर में जीएसटी व्यवस्था में बदलाव से पहले बड़ी संख्या में ग्राहकों ने वाहन खरीद टाल दी थी। इस कारण इस वर्ष का तुलना आधार असामान्य रूप से कमजोर रहा। स्वयं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने सालाना वृद्धि के इस आंकड़े को सावधानी से देखने की जरूरत बताई है। अगस्त की तुलना में 4.69 प्रतिशत की वृद्धि और वित्त वर्ष की पहली छमाही की व्यापक

तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर संकेत देती है। फिर भी ऑटो बाजार की मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 32.10 प्रतिशत बढ़कर 4.27 लाख इकाई रही, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 33.08 प्रतिशत बढ़कर 17.90 लाख इकाई पर पहुंची। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 37.62 प्रतिशत बढ़ी और पहली बार सितंबर में एक लाख का आंकड़ा पार कर गई। यह बताता है



कि उपभोक्ता मांग पूरी तरह कमजोर नहीं है और अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में खर्च करने की क्षमता बनी हुई है। लेकिन यहीं से ग्रामीण भारत की असली कहानी शुरू होती है। ट्रैक्टर केवल एक वाहन नहीं, बल्कि कृषि आय, फसल की उम्मीद और किसान के निवेश आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण संकेतक है। सितंबर में ट्रैक्टर बिक्री अगस्त के मुकाबले 12.58 प्रतिशत घटी, हालांकि पिछले

वर्ष सितंबर की तुलना में इसमें 13.75 प्रतिशत वृद्धि बनी रही। इसलिए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूर्ण संकेत का प्रमाण कहना भी सही नहीं होगा। बल्कि यह संकेत है कि कृषि से जुड़ी ग्रामीण मांग पर दबाव बढ़ा है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गैर–कृषि हिस्से अपेक्षाकृत बेहतर टिके हुए हैं। इस दबाव की बड़ी वजह इस वर्ष का कमजोर मानसून है। जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से लगभग 12.6 प्रतिशत कम बारिश हुई और यह एक दशक से अधिक समय की कमजोर मानसूनी परिस्थितियों में शामिल रही। असमान वर्षा, लंबे शुष्क दौर और कुछ क्षेत्रों में कम कृषि गतिविधि ने किसान

की नकदी स्थिति तथा भविष्य के प्रति भरोसे को प्रभावित किया है। कृषि आय पर असर पड़ने का सीधा परिणाम महंगे कृषि उपकरणों की खरीद को टालने के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण मांग पूरी तरह कमजोर हो रही है? जवाब हैकू स्पष्ट है। ग्रामीण भारत को केवल कृषि सहायता या राहत पैकेज के नजरिये से देखने के बजाय कृषि + लक्ष्य को दूसरे पर प्राथमिकता देने से लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ सकता है। यदि गलत नाम सूची में रह जाते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। लेकिन यदि वैध मतदाता का नाम बिना पर्याप्त सूचना, सुनवाई और अपील के अवसर के हट जाता है तो उससे भी गंभीर समस्या पैदा होती है नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित होता है। यही कारण है कि मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया में केवल कितने नाम हटें यह आंकड़ा पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह भी सार्वजनिक होना चाहिए कि कितने नाम किस कारण से हटाए गए, कितने लोगों ने आपत्ति की, कितने नाम पुनः जोड़े गए और कितने मामलों में अपील लंबित है। रिपोर्टों के अनुसार, SIR के बाद 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे मतदाताओं को फिर से नामांकित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। पहला, प्रक्रिया का पूरा सार्वजनिक ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराया जाएकृकिस नियम के आधार पर बदलाव हुआ और किस अधिकारी

अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। निर्माण, परिवहन, छोटे कारोबार, ग्रामीण सेवाएं, स्थानीय व्यापार और गैर–कृषि रोजगार ग्रामीण परिवारों की आय के महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। FADA ने भी संकेत दिया है कि यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन और दोपहिया वाहनों की ग्रामीण मांग का एक हिस्सा अब गैर–कृषि रोजगार और व्यवसाय से सहारा पा रहा है। इससे ग्रामीण ऑटो मांग और कृषि आय के बीच पहले जैसा सीधा संबंध कमजोर हुआ है। यही बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। यदि गैर–कृषि रोजगार ग्रामीण आय को स्थिर और बढ़ाने में सक्षम होता है तो कमजोर कृषि मौसम के बावजूद उपभोग की निरंतरता बनी रह सकती है। लेकिन इसके लिए रोजगार का स्वरूप भी महत्वपूर्ण है। केवल अस्थायी, कम आय वाले और अनिश्चित काम ग्रामीण परिवारों को लंबे समय तक बड़ी खरीदारी करने का आत्मविश्वास नहीं दे सकते। टिकाऊ ग्रामीण मांग के लिए नियमित आय, उत्पादक रोजगार, बेहतर सड़क–परिवहन, डिजिटल सेवाएं, छोटे उद्योग और ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करना होगा। सरकार और नीति–निर्माताओं के लिए संदेश स्पष्ट है। ग्रामीण भारत को केवल कृषि सहायता या राहत पैकेज के नजरिये से देखने के बजाय कृषि +

गैर–कृषि रोजगार के संयुक्त आर्थिक ढांचे के रूप में देखना होगा। सिंचाई, जल–संरक्षण, कृषि उत्पादकता और फसल जोखिम प्रबंधन के साथ ग्रामीण विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, पर्यटन, सेवाओं और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। दूसरी ओर ऑटो उद्योग के लिए भी सितंबर के आंकड़े केवल उत्सव का विषय नहीं हैं। यात्री वाहनों के क्षेत्र में डीलर इवेंटरी लगभग 43–45 दिनों तक पहुंच गई है, जबकि FADA का है। यही बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सितंबर के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर या मजबूत घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे इससे अधिक महत्वपूर्ण बात कहते हैंकृभारत की अर्थव्यवस्था अब एक समान गति से नहीं चल रही है। शहरी उपभोग मजबूत है, ग्रामीण गैर–कृषि गतिविधियां कई क्षेत्रों में मांग को संभाल रही हैं, लेकिन कृषि आय मौसम की मार से दबाव में है। ट्रैक्टर की कमजोर मासिक बिक्री को ग्रामीण भारत की पूरी कहानी मानना उतना ही गलत होगा, जितना रिकॉर्ड कार

बिक्री को पूरे देश की समृद्धि का प्रमाण मान लेना। भारत की अगली आर्थिक छलांग इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ग्रामीण परिवारों की आय को केवल अच्छे मानसून पर निर्भर रहने से मुक्त किया जा सकता है। गैर–कृषि रोजगार इस बदलाव का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है, लेकिन उसे पर्याप्त, नियमित और उत्पादक रोजगार में बदलना नीति की असली परीक्षा होगी। आखिरकार मजबूत अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल ज्यादा कारों बिकना नहीं है। मनबूत अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें किसान बेहतर मौसम की प्रतीक्षा में मजबूर न हो, ग्रामीण युवा को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार मिले और परिवार अपनी जरूरतों के साथ भविष्य के लिए भी खर्च करने का भरोसा रख सके। सितंबर का ऑटो बाजार इसी बड़े सवाल की ओर संकेत कर रहा हैकृभारत की विकास यात्रा तेज जरूर है, लेकिन उसकी मजबूती तभी साबित होगी जब शहरों की खपत के साथ गांवों की आय भी टिकाऊ गति से बढ़े। संपादकीय हेतु उपयुक्त मुख्य चित्ररू गतिविधियां कई क्षेत्रों में मांग को संभाल रही हैं, लेकिन कृषि आय मौसम की मार से दबाव में है। ट्रैक्टर की कमजोर मासिक बिक्री को ग्रामीण भारत की पूरी कहानी मानना उतना ही गलत होगा, जितना रिकॉर्ड कार

कृषि–आधारित ग्रामीण मांग के विरोधाभास को दृश्य रूप में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

मतदाता सूची का सवाल: चुनाव सुधार जरूरी, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल मतदान केंद्र पर डाले गए मत से तय नहीं होती। उसकी पहली शर्त यह है कि जिस नागरिक को मतदान का संवैधानिक अधिकार है, उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित और सही ढंग से दर्ज हो। इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण कोई राजनीतिक मुद्दा मात्र नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी शर्त भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया पर नागरिक का भरोसा बना रहे। आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तीखा विवाद इसी भरोसे की कसौटी बन गया है। विपक्ष मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, प्रक्रिया की पारदर्शिता और आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित, दोहरे अथवा अपात्र नामों को हटाना और पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना चुनाव की शुचित्ता के लिए आवश्यक है। दोनों पक्षों के दावों के बीच वास्तविक समाधान राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप में नहीं, बल्कि सत्यापन योग्य प्रक्रिया और सार्वजनिक पारदर्शिता

में छिपा है। हाल के घटनाक्रम ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि उसने Form–6 के किसी संशोधित स्वरूप को मंजूरी नहीं दी है और आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि संबंधित बदलाव कैसे और किस स्तर पर हुआ। Form–6 नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है। यहां वाल स्पष्ट करना जरूरी है कि न्यायालय की टिप्पणी को किसी संस्था के विरुद्ध अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। मामला न्यायिक विचारधीन है और अंतिम तथ्य तथा जिम्मेदारी न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी। लेकिन यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण सवाल अवश्य उठाता है चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक दस्तावेज और उसके हर बदलाव की जानकारी सार्वजनिक, तर्क है कि मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित, दोहरे अथवा अपात्र नामों को हटाना और पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना चुनाव की शुचित्ता के लिए आवश्यक है। दोनों पक्षों के दावों के बीच वास्तविक समाधान राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप में नहीं, बल्कि सत्यापन योग्य प्रक्रिया और सार्वजनिक पारदर्शिता

के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन अथवा संबंधित निर्वाचन अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है। आयोग की व्यवस्था में आवेदन की स्थिति जानने, नाम खोजने और शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लेकिन डिजिटल सुविधा तभी लोकतांत्रिक सुविधा बनती है, जब नागरिक वास्तव में उसका उपयोग कर सके। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनके लिए तकनीकी भाषा, दस्तावेजों की जटिलता अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया स्वयं एक बाधा हो सकती है। इसलिए ठरर स्तर पर सहायता, स्थानीय भाषा में स्पष्ट निर्देश और आवेदन की नामांकित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। पहला, प्रक्रिया का पूरा सार्वजनिक ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराया जाएकृकिस नियम के आधार पर बदलाव हुआ और किस अधिकारी



गए नामों का समेकित आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए, ताकि राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों और आम जनता को स्वतंत्र रूप से मतदाता सूची की सत्यता जांच कर सकें। चैथ्या, स्थिति की सरल जानकारी बेहद आवश्यक है। भरोसा कैसे बढ़े? मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विश्वास कम करने के लिए कुछ बुनियादी कदम तत्काल प्रभावी हो सकते हैं। पहला, प्रक्रिया का पूरा सार्वजनिक ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराया जाएकृकिस नियम के आधार पर बदलाव हुआ और किस अधिकारी

GST सुधार की अगली परीक्षा:राहत का लाभ उपभोक्ता और छोटे कारोबार तक कितना पहुंचेगा?

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने भारतीय कर व्यवस्था को एक साझा राष्ट्रीय बाजार में बदलने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अब इसकी अगली परीक्षा केवल कर दरों में बदलाव की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को सरल, तेज, भरोसेमंद और करदाता के अनुकूल बनाने की है। 8 अक्टूबर को प्रस्तावित GST परिषद की 57वीं बैठक इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में दरों से अधिक ध्यान प्रक्रिया सुधार, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीकरण, अनुपालन और निर्यात सेवाओं से जुड़े विषयों पर रहने की संभावना है। GST लागू होने के बाद बीते वर्षों में व्यवस्था ने लंबी दूरी तय की है। प्रारंभिक जटिलताओं के बाद डिजिटल रिटर्न, ई–वे बिल, ई–इनवॉइस और डेटा आधारित निगरानी ने कर संग्रह को अधिक व्यवस्थित बनाया। सितंबर 2025 में GST परिषद ने अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत द प्रमुख दरों 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दिशा में बड़ा कदम उठाया तथा आम उपभोग की अनेक वस्तुओं पर कर भार घटाया। जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाओं में भी महत्वपूर्ण राहत दी गई। लेकिन किसी कर सुधार की सफलता केवल

इस बात से नहीं मापी जा सकती कि सरकार ने कितनी दरे घटाई। असली सवाल यह है कि राहत का लाभ अंतिम उपभोक्ता और छोटे कारोबारी तक कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से पहुंचा। यहीं GST सुधार की अगली चुनौती सामने आती है। छोटे व्यापारी के लिए GST की सबसे बड़ी समस्या कई बार कर की दर नहीं, बल्कि अनुपालन की लागत होती है। रिटर्न दाखिल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान, दस्तावेज सुरक्षित रखना, नोटिस का जवाब देना और रिफंड के लिए प्रक्रिया पूरी करनाकृइन सबमें समय, धन और विशेषज्ञता लगती है। बड़े कारोबारियों के पास कर विशेषज्ञों और तकनीकी प्रणालियों की सुविधा होती है, लेकिन छोटे दुकानदार, निर्माता, सेवा प्रदाता और सूक्ष्म उद्यमी के लिए यही प्रक्रिया अतिरिक्त बोझ बन सकती है। इसलिए अगला GST सुधार ‘कम कर’ से आगे बढ़कर ‘कम जटिलता’ का सुधार होना चाहिए। रिफंड में तेजी, कारोबार के लिए ऑक्सीजन निर्यातकों के लिए रिफंड केवल कर–वापसी नहीं, बल्कि कार्यशील पूंजी का सवाल है। प्रस्तावित सुधारों में जोखिम आधारित ब्याज के माध्यम से पात्र रिफंड का बड़ा हिस्सा शीघ्र जारी करने और शेष राशि को बाद की जांच से जोड़ने

जैसे उपायों पर विचार हो रहा है। निर्यात सेवाओं के मामले में भी विदेशी ग्राहकों, विदेशी शाखाओं भारत में विदेशी



स्वामित्व वाली वस्तुओं पर की जाने वाली सेवाओं और RBI के विदेशी मुद्रा नियमों के साथ GST प्रावधानों में बेहतर तालमेल के प्रस्ताव सामने आए हैं। यह दिशा स्वागतयोग्य है। निर्यातक का पैसा महीनों तक कर

व्यवस्था में अटका रहे तो वह उत्पादन, वेतन, कच्चे माल और विस्तार में उपयोग नहीं हो पाता।

में कच्चे माल और तैयार उत्पाद पर अलग–अलग GST दरों के कारण कई कंपनियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट

विचार किया जा रहा है। लेकिन यहां सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। तेज रिफंड का अर्थ कमजोर जांच नहीं होना चाहिए। तकनीक और जोखिम–आधारित जांच का उद्देश्य ईमानदार करदाता को तेजी से राहत देना और सदिश्य दावों को प्रभावी ढंग से रोकना होना चाहिए। बीमा और उपभोक्ता राहत की अगली कसौटी बीमा क्षेत्र में भी GST का प्रभाव सीधे आम नागरिक की जेब से जुड़ता है। 2025 में व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST में बड़ी राहत का निर्णय लिया गया था। लेकिन कर में राहत तभी वास्तविक उपभोक्ता राहत बनेगी, जब उसका पर्याप्त हिस्सा प्रीमियम, सेवा लागत और बीमा कबरेज में दिखाई दे। नियामकीय और प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर बचत केवल कंपनियों की लागत संरचना में समाहित होकर न रह जाए। GST का मूल उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना था। इसलिए प्रत्येक अगला सुधार इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि क्या सामान्य नागरिक बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने अधिकार और दायित्व समझ सकता है। छोटे कारोबार की चिंता सबसे महत्वपूर्ण GST व्यवस्था में छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए

सरल पंजीकरण की दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। 2025 में परिषद ने कम जोखिम वाले नए आवेदकों के लिए स्वचालित और सरल पंजीकरण व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब अगली जरूरत यह है कि यही सरलता पंजीकरण के बाद की पूरी यात्रा में दिखाई देकृरिटर्न, भुगतान, ITC, नोटिस, अपील और रिफंड क्षेत्र। करदाता को हर छोटी तकनीकी गलती के लिए दंड और विवाद के भय में रखने के बजाय, व्यवस्था को पहले सुधारात्मक और मार्गदर्शक होना चाहिए और गंभीर तकनीक–आधारित तथा फेंसलेस बनाने पर भी चर्चा की संभावना है। संपादकीय दृष्टिकोण GST की अगली पीढ़ी का लक्ष्य कम दर, कम कागजी काम और कम भय लेकिन अधिक पारदर्शिता और अधिक अनुपालन होना चाहिए। करदाता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उसके साथ साझेदार की तरह व्यवहार कर रही है, संदिग्ध अपराधी की तरह नहीं। वहीं सरकार के लिए भी यह जरूरी है कि डिजिटल व्यवस्था

का इस्तेमाल केवल कर संग्रह बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि करदाताओं की समस्याओं को पहले पहचानने और समाधान करने के लिए किया जाए। छोटे कारोबार को राहत देने का सबसे प्रभावी तरीका हर बार कर दर घटाना नहीं है। कई बार उसे समय पर रिफंड, आसान पंजीकरण, स्पष्ट नियम, एकरूप व्याख्या और कम अनुपालन लागत देना उससे बड़ी राहत होती है। आखिरकार ढ़ैउ की सफलता का पैमाना सरकारी राजस्व भर नहीं हो सकता। उसकी असली सफलता तब होगी जब छोटा व्यापारी बिना अनावश्यक डर के कारोबार बढ़ाए, निर्यातक अपनी पूंजी समय पर वापस पाए, उद्योग अनिश्चितता के बजाय उत्पादन पर ध्यान दे और उपभोक्ता को कर राहत का वास्तविक लाभ मिले। GST का अगला अध्याय दरों की राजनीति से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का अध्याय होना चाहिए। कर सुधार की अंतिम मंजिल अधिक कर नहीं, बल्कि ऐसा सरल कर तंत्र है जिसमें ईमानदार करदाता के लिए अनुपालन आसान और धोखाधड़ी करने वाले के लिए रास्ता कठिन हो। यही ‘सरल GST’ की वास्तविक कसौटी होगी।

नान्टक राज्य संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष जी. एन. श्रीनिवास गौड़ के साथ बी. वी. हेरीश कुमार, एम. कृष्णमूर्ति विधि सलाहकार, एम. कृष्णमूर्ति बेंगलुरु शहरी जिला महासचिव तथा एस. एन. जयदीप बेंगलुरु शहरी जिला प्रधान समन्वयक की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। पदाधिकारियों ने संगठन को जिला स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने सम्मानित पदाधिकारियों के साथ संवाद किया और संगठन के आगामी कार्यों को लेकर विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से तस्वीर खिंचवाकर समारोह की यादें साझा कीं। समारोह ने जहां संगठनात्मक पदाधिकारियों के प्रति सम्मान और विश्वास का संदेश दिया, वहीं पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी व्यक्त की गई। सामाजिक प्रेषक सुरेश सीरवी बेंगलुरु।

राजस्थान सेवा समिति का 66वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न, भंसाली व शेखानी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
अहमदाबाद, 6 अक्टूबर 2026। राजस्थान सेवा समिति, अहमदाबाद का 66वां स्थापना दिवस समारोह सोमवार को हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में संस्था की सेवा एवं शैक्षणिक गतिविधियों को रेखांकित करते हुए समाज और संस्था के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए संघवी वंशराजजी भंसाली तथा ट्रस्टी बाबूलालजी शेखानी को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे मुख्य अतिथियों एवं गणमान्यजनों की उपस्थिति में हुआ। संस्था के चेयरमैन, युवा उद्यमी एवं भामाशाह गणपतराजजी चौधरी ने अतिथियों और उपस्थितजनों का स्वागत किया। उन्होंने राजस्थान सेवा समिति द्वारा संचालित राजस्थान स्कूल के विकास एवं नवीनीकरण कार्यों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग देने वाले समाजबंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। स्थापना दिवस समारोह में संस्था की यात्रा

और सेवा गतिविधियों पर आधारित विशेष गीत 'राजस्थान सेवा समिति का जहां हुआ सृजन' प्रस्तुत किया गया। वहीं प्री-प्राइमरी कक्षा के करीब

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया। चेयरमैन गणपतराज चौधरी ने कहा कि दोनों सम्मानित व्यक्तित्व विभिन्न संस्थाओं के माध्यम

कार्यप्रणाली एवं शिक्षा व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर मिला। उन्होंने सामान्य शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया। बाबूलालजी शेखानी ने कहा कि उन्होंने स्वयं राजस्थान स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उनके परिवार के सदस्यों ने भी इसी संस्थान में अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 41 वर्षों से संस्था से जुड़े हैं और यहां सेवा का अवसर मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण

40 बच्चों ने भगवान महावीर के चौदह स्वप्नों पर आधारित गीत पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बच्चों की प्रस्तुति ने समारोह में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भंसाली और शेखानी को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान संस्था की ओर से समाज एवं सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए संघवी वंशराजजी भंसाली और ट्रस्टी बाबूलालजी शेखानी को

से सेवा कार्यों में सक्रिय योगदान देते रहे हैं और जिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। सम्मान के बाद अपने संबोधन में वंशराजजी भंसाली ने राजस्थान सेवा समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि वे करीब पांच दशकों से विद्यालय से जुड़े हुए हैं और इस दौरान संस्था की

अनुभव रहा है। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास को संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल बताया। लिफ्ट और बायो लैंब का उद्घाटन स्थापना दिवस समारोह के दौरान संस्था में नवनिर्मित लिफ्ट एवं बायो लैंब का उद्घाटन भी किया गया। लिफ्ट के लिए सिटीजन सोलर लिमिटेड के ओमप्रकाशजी एवं तनसुखराजजी श्रीश्रीमाल तथा बायो

ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हजारों LPG कनेक्शन सस्पेंड, अब बुकिंग पर लगी रोक

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
सुल्तानपुर, 6 अक्टूबर 2026। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराने वाले हजारों उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके चलते फिलहाल ऐसे उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेंगे। संबंधित उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरा कराने के बाद ही बुकिंग सुविधा बहाल होने की बात सामने आई है। सुल्तानपुर जिले में विभिन्न तेल विपणन कंपनियों की 48 गैस एजेंसियां संचालित हैं। इनके माध्यम से करीब 5.59 लाख उपभोक्ताओं को घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के उपभोक्ता शामिल हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कनेक्शन सस्पेंड उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गैस कंपनियों ने ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए सिलेंडर

2026 तक समय सीमा निर्धारित की थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 अक्टूबर से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग पर रोक लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर करीब 50



हजार उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी लंबित होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार गैस कंपनियों की ओर से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का स्पष्ट और अंतिम आंकड़ा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। गैस एजेंसियों के अनुसार ई-केवाईसी पूरा कराने वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग सुविधा बहाल की जा रही है। कई एजेंसियों पर रोजाना उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने पहुंच रहे हैं। नए घरेलू कनेक्शन पर भी रोक खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के बाद घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर दबाव के बीच नए

घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर भी रोक लगाए जाने की जानकारी है। इससे जिले में हजारों परिवार नए गैस कनेक्शन से वंचित बताए जा रहे हैं। ऐसे परिवारों के सामने घरेलू ईंधन की व्यवस्था को लेकर परेशानी बड़ी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ उपभोक्ता वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मंहगे दाम पर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। 25 दिन के अंतराल पर हो रही बुकिंग घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को करीब 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करने की सुविधा मिलने की जानकारी है। डिलीवरी के मामले में शहरी उपभोक्ताओं को बुकिंग के करीब तीसरे दिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चौथे या पांचवें दिन सिलेंडर मिलने की बात कही गई है। त्योहारों के दौरान घरेलू गैस की खपत बढ़ने से मांग और बैकलॉग बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के सामने वैकल्पिक विकल्प ई-केवाईसी लंबित रहने के कारण घरेलू सिलेंडर की बुकिंग प्रभावित होने के बाद उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था अपनानी पड़ सकती

एशियाड गोल्ड का सम्मान:हिमाचल की तीन कबड्डी खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपये

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
शिमला, 6 अक्टूबर 2026। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल प्रदेश की तीन खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को यह पुरस्कार देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही तीनों खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने मंगलवार को बताया कि खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद उन्होंने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1-1 करोड़ रुपये देने का भरोसा दिलाया। खिलाड़ियों ने इससे पहले घोषित 33 लाख रुपये की पुरस्कार राशि को लेकर अपनी अप्था मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। खिलाड़ियों ने

रखी क्लास-1 नौकरी की मांग पुष्पा राणा के अनुसार, मुलाकात के दौरान तीनों खिलाड़ियों ने क्लास-1 सरकारी



नौकरी देने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुष्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की बात गंभीरता से सुनी और मुलाकात के दौरान उन्हें सहज महसूस कराया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी खेल उपलब्धियों को देखते हुए सरकार नौकरी के संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लेगी। सम्मान समारोह में दी

जाएगी पुरस्कार राशि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही तीनों खिलाड़ियों को सम्मान में एक समारोह आयोजित करेगी। इसी कार्यक्रम में उन्हें घोषित पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि तीनों खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर दिया जाएगा। पुलिस विभाग में शामिल होने की इच्छुक खिलाड़ियों को वहां नियुक्ति का विकल्प दिया जाएगा, जबकि जो खिलाड़ी पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहतीं, उन्हें युवा सेवा एवं खेल विभाग में



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बिलासपुर, 6 अक्टूबर 2026। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर ने अपनी कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक चित्र के साथ हुई, जिसमें राष्ट्रपति, आमंत्रित अतिथियों, संस्थान के पड़ाव पार करते हुए पहला दीक्षा समारोह आयोजित किया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैच-2020 के 89 डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब

10:35 बजे AIIMS बिलासपुर के हेलीपैड पहुंचीं। स्वागत के बाद वह दीक्षा समारोह स्थल पर पहुंचीं। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक चित्र के साथ हुई, जिसमें राष्ट्रपति, आमंत्रित अतिथियों, संस्थान के अधिकारियों और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 89 डॉक्टरों के लिए यादगार रहा अवसर भी बैच-2020 के विद्यार्थियों के लिए यह समारोह लंबे शैक्षणिक प्रशिक्षण के बाद पेशेवर जीवन में प्रवेश का मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब

पुलिस कार्रवाई के बीच पुनपुन नदी में कूदे लोग, दो की डूबने से मौत

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
पटना, 6 अक्टूबर 2026। पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के बेहरावां गांव में सोमवार को पुलिस की कार्रवाई के दौरान अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस की भारी मौजूदगी और कार्रवाई से बचने के प्रयास में करीब 50 से 60 लोग पुनपुन नदी में कूद गए। इस दौरान नदी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक, पुलिस बल की अचानक बड़ी संख्या में मौजूदगी से गांव में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई से बचने के लिए कई ग्रामीण नदी की ओर भागे और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों ने पुनपुन नदी में छलांग लगा दी। तैरने में सक्षम कुछ लोग नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंचने में सफल रहे। नदी में ईंट-पत्थर फेंके जाने

का आरोप घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि भागने के दौरान कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंके गए। इसके बाद पुलिस की ओर से भी नदी की



दिशा में ईंट-पत्थर फेंके जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों से मौत होने की बात सामने आई लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कथित तौर पर लगातार ईंट-पत्थर गिरने के कारण

उन्हें नदी से बाहर आने में परेशानी हुई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। दो लोगों की डूबने से मौत इस अफरातफरी के दौरान फुलवारी शरीफ के डिकरा निवासी आकाश मांझी और करीब

60 वर्षीय राम मांझी नदी से बाहर नहीं निकल सके। दोनों की डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। बताया गया है कि आकाश मांझी अपनी नानी के घर बेहरावां आया हुआ था। घटना के बाद

परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें समय रहते नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका। गांव में तनाव और दहशत का माहौल घटना के बाद बेहरावां गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के बाद कई लोग अपने घरों से चले गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। गांव में पुलिस बल की मौजूदगी बनी हुई है। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस की ओर से कार्रवाई का आधिकारिक पक्ष और नदी में हुई दोनों मौतों की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। घटना की निष्पत्ती जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भगदड़ और डूबने की स्थिति किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नागांव, असम, 6 अक्टूबर 2026। असम के नागांव जिले में मंगलवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र नागांव क्षेत्र में जमीन की सतह से करीब 33 किलोमीटर की गहराई में था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भूकंपीय घटना को समीक्षा के बाद दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय भूकंप

विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप मंगलवार सुबह 4 बजकर 23 मिनट 47 सेकंड पर आया। इसका केंद्र 26.428 उत्तरी अक्षांश और 93.060 पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया। NCS के रिकॉर्ड में इसका स्थान तेजपुर से करीब 36 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व बताया गया है। भूकंप के झटकों के कारण नागांव और आसपास के इलाकों में लोगों में हलचल देखी गई। शुरुआती उपलब्ध सूचनाओं में किसी बड़े जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और संबंधित

एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी अवधि में पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी हल्की भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गईं। NCS के अनुसार सुबह 4:27:25 बजे मणिपुर के तामेंगलांग क्षेत्र में 2.9 तीव्रता और इससे पहले मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में 3.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। भूकंप के दौरा विशेषज्ञों की सामान्य सलाह है कि घरबाने के बजाय शांत रहें और भवन के भीतर होने पर खिड़कियों, कांच तथा भारी सामान से दूरी बनाए रखें। झटके तेज होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान तलाशना और कंपन थमने के बाद ही सावधानीपूर्वक बाहर निकलना बेहतर माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में बार-बार महसूस होने वाले झटके भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आम लोगों में भूकंप संबंधी जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। नागांव में आया 4.5 तीव्रता का यह भूकंप एक बार फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंप-रोधी निर्माण, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और जन-जागरूकता को प्राथमिकता देने की जरूरत की ओर ध्यान आकर्षित करता है।